ज्ञापांक-...4122.../एक्स.एल.
XL(विविध)-02/2014
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 26-6-15

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक (रेलवे सहित) बिहार ।

विषय :- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यस्था हेतु उच्च स्तरीय बैठक के संबंध में ।

दिनांक-22.06.2015 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, गृह विभाग, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक, बिहार तथा वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में विधि-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण पर कारगर कदम उठाने हेतु निर्देश दिये है, जिसकी संक्षिप्त सार निम्नलिखित है । निम्नलिखित निर्देश का अनुपालन एवं अनुश्रवण दृढ़ता से सुनश्चित करेगें :-

साम्प्रदायिक मामलें:-

1. सभी प्रकार के जुलूस (procession) के लिए शत-प्रतिशत लाईसेंस निर्गत किये जायें ।
2. निर्गत किये गये लाईसेंस पर जुलूस/ताजियों/ मूर्ति विर्सजन की तिथि/मार्ग एवं समय अंकित किया जाय।
3. पुराने लाईसेंसधारी, जो बुजुर्ग हो गये हैं एवं जुलूस में सक्रिय हिस्सा नहीं लेते हैं, लाइसेंस का पुर्न-नवीकरण करते समय युवा एवं जिम्मेवार सदस्यों के नाम पर लाईसेंस निर्गत किये जायें ।
4. धार्मिक त्योहारों के अवसर पर बलों की आवश्यकता के बारें में पूर्ण रूप से गणना कर ली जाय तथा स्थलों एवं जुलूस मार्गो में संवेदनशीलता के अनुरूप बलों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाय ।
5. जुलूस लाईसेंस निर्गत करते वक्त जुलूस के शर्तों के संबंध में व्यापक रूप से उल्लेख किया जाय ।
6. महिलाओं से छेड़-खानी के मामलें में तथा कई बार प्रेम-प्रसंग के मामलों में साम्प्रदायिक घटनाओं के घटित होने की आशंका रहती है, इस संबंध में अग्रतर आसूचना जुटाने की पूर्ण रूप से तैयारी की जाय ।
7. पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष विशेष रूप से साम्प्रदायिक मामलों में चौकसी बरतें ।

8. चौकीदारों को ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जानकारी रहती है, उनसे नियमित स्तर पर आसूचना प्राप्त किया जाय ।चौकीदारों को आसूचना हेतु आवश्यक हो तो प्रशिक्षण प्रदान किया जाय ।
9. चौकीदारों के अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य सामाजिक कार्यकर्त्ताओं तथा अन्य विभागों के ग्रामीण स्तर के सरकारी/अनुबंधित कर्मियों से भी आसूचना संकलन का प्रयास किया जाय।
10. सभी पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्र में ऐसी संस्थात्मक (institutional mechanism) प्रणाली विकसित करें कि लगातार समय से आसूचना एवं फीड-बैक प्राप्त होता रहे ।
11. थानों/अंचलों/अनुमंडलों एवं जिला स्तर पर प्रत्येक दिन फीड-बैक प्राप्त किया जाय।
12. प्रत्येक थाना में एक पुलिस पदाधिकारी को विशेष रूप से सांप्रदायिक मामलों की समीक्षा एवं निगरानी का दायित्व दिया जाय । हालांकि थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र के सभी मामलों में पूर्ण उत्तरदायी माने जायेगें ।
13. जिला/अनुमंडल/अंचल एवं थाना स्तर पर साम्प्रदायिक मामलों से निबटने के लिए मानक कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure) विकसित किया जाय ।
14. भूमि विवाद/ईदगाह/धार्मिक स्थलों के कारण सांप्रदायिक घटनायें घटित होने की आशंका रहती है । ऐसे मामलों में समय पर आसूचना संकलन किया जाय तथा भूमि विवाद के मामलों का प्रभावी निपटारा किया जाय ।
15. अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष प्रत्येक शनिवार को संयुक्त रूप से बैठक आयोजित करें ताकि अपने क्षेत्र के भू-मामलों का निपटारा कर सकें।
16. साम्प्रदायिक हिंसा के कांडों में लंबित अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाय ।
17. अफवाह फैलाने वालों पर विशेष रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाय । साथ ही अफवाह रोकने के प्रभावी इंतजाम सुनिश्चित कराये जायें ।
18. सांप्रदायिक हिंसा फैलाने/अफवाह फैलाने/उत्प्रेरित करने वाले लोगों की पहचान कर उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाय।
19. गया/सिवान/पटना/मुजफ्फरपुर/सीतामढी/नवादा/मोतिहारी/वैशाली/औरंगाबाद सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले हैं । इसके अतिरिक्त शाहाबाद के जिलों तथा गोपालगंज एवं राज्य के अन्य जिलों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।
20. पिछले दस वर्षों के सांप्रदायिक मामलों के ऑकड़ों की समीक्षा की जाय और SOP बनाते वक्त इन क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाय।

21. सांप्रदायिक मामलों में थानाध्यक्ष त्वरित रूप से पुलिस अधीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस निरीक्षक को सूचना देंगें । पुलिस अधीक्षक, जिला पदाधिकारी/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/ प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस मुख्यालय को त्वरित सूचना देगें । साथ ही तत्क्षण सांप्रदायिक मामलों को रोकने की प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।
22. शांति समिति (Peace Committee) समाज के विभिन्न वर्ग के युवाओं एवं जागरूक लोगों को शामिल किया जाय ।
23. सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी आसूचना संग्रह किया जाय ।
24. विभिन्न जिलों में जुलूस के दौरान DJ/नर्तकी को भी शामिल कर लिया जाता है, जिसके कारण कई बार साम्प्रादायिक समस्या उत्पन्न हो जाती है । जुलूस के शर्तो में भी इसे नियमित (Regulate) करने की आवश्यकता है ।
25. बिना लाईसेंस के जुलूस निकालने की इजाजत कतई नहीं प्रदान की जाय ।

पुलिस मुख्यालय के स्तर से उपरोक्त बिन्दुओं पर समीक्षा की जायेगी ।

<u>भू-विवादः-</u>

1. भू-विवाद के निपटारे के लिए सभी महत्वपूर्ण भू-विवादों की सूची थाना स्तर एवं जिला-स्तर पर तैयार की जाय ।
2. थानाध्यक्ष/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी प्रत्येक शनिवार को भू-विवाद के सभी मामलों का संयुक्त रूप से बैठक कर निपटारा करें ।
3. सभी महत्वपूर्ण भू-विवाद के मामलों में डाटा संकलन किया जाय तथा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय । जिला स्तर तथा पुलिस मुख्यालय स्तर पर इसका विश्लेषण किया जायेगा ।
4. भू-विवाद के मामलों में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी से समन्वय कर निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाय।
5. जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक भू-विवाद के लिए नियमित तौर पर भू-राजस्व से जुड़े पदाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों के साथ मिलकर नियमित बैठक करना सुनिश्चित करें ।
6. दियारा क्षेत्रों में तथा फसल बुआई तथा कटाई के समय विशेष रूप से भू-विवाद के मामलों पर निगरानी की आवश्यकता है ।
7. पूर्व से घटित कांडों के अनुसंधान में अनुश्रवण पुलिस अधीक्षक के स्तर से नियमित तौर पर की जाय ।

जातीय तनावः-

1. जातीय तनाव के मामलों पर विशेष रूप से आसूचना संकलन किया जाय । घटित कांडों का त्वरित अनुश्रवण किया जाय तथा त्वरित अनुसंधान संपन्न कराया जाय ।
2. निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

इसके अतिरिक्त दुर्घटना होने से तथा बिजली आपूर्ति को लेकर कई बार समस्या उत्पन्न हो जाती है । इस संबंध में ससमय आसूचना संकलन करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाय ।

अपराध :-

1. हत्या/लूट/चोरी/दंगा एवं अपहरण के कांडों की समीक्षा की जाय कि किन-किन कारणों से इन अपराधों में वृद्धि हो रही है तथा इसके किन-किन उप-शीर्षों में कांड घटित हो रहें हैं, उनका अलग-अलग विश्लेषण एवं डाटा तैयार किया जाय।
2. पुलिस द्वारा जो अच्छे कार्य किये जा रहें हैं, उसके संबंध में पुलिस पदाधिकारी, यथा-पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक अपनी उपलब्धियों को मीडिया प्रेस को अवगत करायें ।
3. अपहरण की घटनाओं का विश्लेषण किया जाय । घटनाएँ किन कारणों से घटित हो रही है। प्रेम-प्रसंग/मजदूरी/मानव व्यापार एवं हत्या/फिरौती के लिए अपहरण की धटनाओं की विस्तृत रूप से समीक्षा की जाय ।
4. महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध यथा महिलओं के अपहरण के घटनाओं में भी कारणों का विश्लेषण किया जाय ।
5. अनुसूचित जाति एवं जन जाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत दर्ज हत्या के कांडों में तो कमी आ रही है, लेकिन बलात्कार एवं आगजनी के कांडों में वृद्धि देखी जा रही है। बलात्कार के मामलों में पीड़िता के सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन कर इस तरह के कांडों पर रोक लगाने की योजना बनायी जाय ।
6. बैंक डकैती/लूट, रेल डकैती/लूट, रोड डकैती/लूट पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय गश्ती की कारवाई सुनिश्चित की जाय और जमानत पर छूटे अपराधियों का सत्यापन कराया जाय ।

पर्यवेक्षण हेतु लंबित मामलों की समीक्षाः-

1. कतिपय उपाधीक्षकों के पास पर्यवेक्षण हेतु अधिक मामलें लंबित हैं । उन्हें अंतिम मौका प्रदान किया जाता है । एक माह के अंदर सुधार नहीं होने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी । बैंक डकैती/लूट एवं रेल डकैती/लूट की घटनाओं का उद्‌भेदन किया जाय । हत्या, लूट, चोरी, दंगा एवं अपहरण के

घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जाय एवं इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये जायें ।

2.पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि माह में हुए दर्ज कांडों में कम-से-कम 10% अधिक कांडों का निष्पादन सुनिश्चित करें ।

3.प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक नियमित तौर पर निरीक्षण (Inspection) करना सुनिश्चित करें ।

4.दुर्दांत अपराधियों के विरूद्ध योजना बनाकर कार्रवाई की जाय ।

5.पुलिस मुख्यालय के स्तर से इसकी समीक्षा की जायेगी ।

<u>त्वरित विचारण :-</u>

1.संवेदनशील कांडों का त्वरित रूप से चयन कर स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत निष्पादन सुनिश्चित कराया जाय ।

2.गवाही के लिए गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय ।

3.सभी पुलिस गवाहों के नाम points.bih.nic.in पर लोड कराया जाय ।

4.आदतन अपराधी (Habitual offenders) तथा दुर्दांत अपराधियों के जमानत रद्द कराने संबंधी कार्रवाई की जाय ।

5.जिन कांडों में अपराधी न्यायालय से सजाप्राप्त करने के पश्चात् जमानत पर छूटे हों तथा जमानत नियमों का उल्लंघन कर रहे हों तो जमानत रद्द कराने की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाय।

<u>आर्म्स एक्टः-</u>

1. आर्म्स एक्ट (Arms Act) के कांडों में त्वरित विचारण की कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाय ।

2.त्वरित विचारण कराये जाने वाले कांडों की सूची पुलिस मुख्यालय तत्काल भेजी जाय, ताकि माननीय उच्च न्यायालय को उपलब्ध कराया जा सके ।

3.पुलिस मुख्यालय के स्तर से नियमित रूप से इसका अनुश्रवण किया जायेगा ।

4.Speedy Appeal (त्वरित अपील) से संबंधित मामलों के प्रस्ताव तैयार किये जाय।

<u>आर्थिक अपराध :-</u>

1. भ्रष्टाचार/सरकारी राशि के गबन से संबंधित मामलों पर आर्थिक अपराध इकाई तथा जिला पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जायेगी ।

2. अवैध संम्पत्ति जमा करने वालों के विरूद्ध यथा-प्रयुक्त अधिनियमों का उपयोग किया जाय । यथा-PMLA Act, Criminal Law Amendment ordinance 1944, Spl Court Act. इत्यादि ।

3. गलत कार्यों से धन जमा करने वाले के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अंतर्गत प्रस्ताव समर्पित कियें जायें ।
4. बेनामी संम्पत्ति के मामलों में जिला पदाधिकारी को कार्रवाई हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाय ।

<u>प्रमादी मिलर :-</u>

1. प्रमादी मिलरों एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज मामलों में कार्रवाई की जाय । दर्ज कांडों में अभियान चलाकर दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करायी जाय तथा राज्य सरकार के बकाये राशि भुगतान हेतु संम्पत्ति की कुर्की-जप्ती की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाय ।
2. राज्य सरकार की राशि में दुर्विनियोग तथा अवैध मामलों से संम्पत्ति जमा करने के मामलों में यथा प्रयुक्त अधिनियमों यथा-PMLA Act, Criminal Law Amendment ordinance 1944, Spl Court Act का प्रयोग किया जाय ।
3. जिला अभियोजन पदाधिकारी के माध्यम से धान अधिप्राप्ति के मामलों में गबन करने वाले मिलरों/सरकारी कर्मियों के जमानत का विरोध कराया जाय ।
4. कांड दैनिकी में साक्ष्य संकलन ठीक ढंग से सुनिश्चित किया जाय ।

<u>नक्सलः-</u>

1. व्यवसायियों/संवेदकों तथा निर्माण कार्य में जुटी कंपनियों से लेवी मॉगने वालों पर कठोर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है ।
2. सी.पी.आई.(माओवादी)/उग्रवादियों के समर्पण एवं पुर्नवास की नीति की समीक्षा की जाय । यदि इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव समर्पित कियस जाय ।

<u>अन्य :-</u>

1. रंगदारी के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी जाय तथा इन मामलों की समीक्षा कर रंगदारों (extortionists) के खिलाफ अभियान चलाया जाय ।
2. साईबर अपराध से संबंधित मामलों में साईबर सेल, आर्थिक अपराध इकाई से समन्वय कर कांडों का उद्‌भेदन सुनिश्चित किया जाय ।
3. जन शिकायत कोषांग में प्राप्त होने वाले आवेदनों की समीक्षा की जाय कि किस प्रकार के आवेदन प्राप्त हो रहें है तथा उस पर की गयी कार्रवाई का क्या प्रतिफल हो रहा है ? कौन से आवेदन लंबित हैं तथा उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होने से किस प्रकार के अपराध घटित हुए हैं ? इसकी समीक्षा कर जिला स्तर तथा थाना स्तर पर कार्ययोजना बनायी जाय ।

उपरोक्त सभी विन्दुओं एवं मानकों के आधार पर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं पुलिस पदाधिकारियों के कार्य की समीक्षा की जायेगी ।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

26/6/15

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
बिहार, पटना ।

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, को कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।
3. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
6. पुलिस महानिरीक्षक, (अपराध अनुसंधान विभाग/आर्थिक अपराध इकाई/विशेष शाखा/रेलवे/अभियान, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
7. सभी प्रक्षेत्रीय महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
8. सभी क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

26/6/15

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
बिहार, पटना ।